सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 263/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. धन्नाराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. विजय सिंह पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. चन्दूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. कलावती पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. कृष्णा पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादीगण
2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1 ता 3

निर्णय दिनांक :– 7.7.2023

वादीगण धन्नाराम व अन्य ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 07–06–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का निवास स्थान का पंजीकृत पता सिविल प्रकिया के व्यापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है। कि प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 1 एम.एम.के खाता स 34/26 ज.स 2071–74 खाता चन्दूराम मे कुल 2.530 है नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 3 एक हि सयुक्त परिवार के सदस्य है जो हिन्दु विधि से शासित है। कि वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि का वादीगण को अपने दादा पदमाराम से विरासतन मे प्राप्त हुई थी जिसमे वादीगण का 2/3 हिस्सा विरासतन हिस्सा बनता है व उसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था मुताबिक घरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है मुताबिक धरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस मे काई विवाद नही है किन्तु मुताबिक कब्जाकाश्त नाम जमाबंदी मे अकन नही होने के कारण सिव बट व रकम माकले को लेकर विवाद बना रहता है इसलिए मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एव दावेदार है प्रतिवादी स 2 ता 3 को उक्त कृषि भूमि विरासतन मे प्राप्त हुई है जिसमे हमारा जिस कदर हक व हिस्सा बनता है उक्त हिस्सा अपना पास नही रखना चाहते है उक्त हक व हिस्से का मोखिक रूप से हक व हिस्सा का वादीगण के हक मे ब.हि.ब परित्याग कर दिया है मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को निम्न भूमि आयी है

(क) वादीगण स 1 व 2 का ब.हि.ब का हिस्सा की कृषि भूमि
चक 1 एम.एम.के खाता स 34/26 मे 1.686है ब.हि.ब

कि वादीगण घरू विभाजन व कब्जाकाश्त के मुताबिक अपने हक व हिस्से की भूमि पर काफी अरसा पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर विपरीत प्रभाव पड रहा है जिससे वादीगण को अनेक कठानाईयो का सामना करना पडता है इसलिए वादीगण अपने दादा से विरासतन मे प्राप्त भूमि मे जन्मजात 2/3 हिस्सा बनता है जिसके खातेदार काश्तकार है अगर यदि वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादीगण को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतीपूर्ती धन के रूप मे नही आंकी जा सकती है ।प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष मे है । कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वो वादीगण को वाद पत्र की चरण स 3 (क) मे वादीगण को खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड मे अकन

करवा दो तो काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड मे अकन करवा दो तो प्रतीवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद मे वादीगण की बात मानने से स्पष्टतया इंकार हो गये बस यही वाद कारण है। कि प्रतिवादी कि प्रति स07 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।कि वाद वादीगण घोषणा का है जो 2 रू के न्याय शुल्क पर पेश है ।काबिल समाहित वाला व अन्दर मियाद है कि वाद माननीय न्यायलय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है अत वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि घोषणा इस आशय कि फरमायी जावे कि चक न 1 एम.एम.के खाता स 34/26 जमाबंदी स 2071–2074 खाता चन्दूराम मे कुल 2.530है मे से 2/3 हिस्सा यानि 1.6866है ब.हि.ब हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का उक्त जमाबदी मे उसी के अनुसार हिस्सा कम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जबाव पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक राजीनामा वादीगण को वाद पत्र की चरण स 3 (क) के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का आराजी को लेकर आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनाम डिक्री किये जाने हेतु सहमती जताई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आराजी के सह–काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि:– चक न 1 एम.एम.के खाता स 34/26 जमाबंदी स 2071–2074 खाता चन्दूराम मे कुल 2.530है मे से 2/3 हिस्सा यानि 1.6866है का वादीगण को ब.हि.ब हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का उक्त जमाबदी मे उसी के अनुसार हिस्सा कम किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 7/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/23

( रमेश देव )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 263/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

1. धन्नाराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. विजय सिंह पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

**बनाम्**

1. चन्दूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. कलावती पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. कृष्णा पुत्री चन्दूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 07 / 07/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिय के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादीगण व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक न 1 एम.एम.के खाता स 34/26 जमाबंदी स 2071–2074 खाता चन्दूराम मे कुल 2.530है मे से 2/3 हिस्सा यानि 1.6866है का वादीगण को ब.हि.ब हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का उक्त जमाबदी मे उसी के अनुसार हिस्सा कम किया जाता है।

राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोट :– रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात् डिक्री का अमल दरामद होगा।

खर्चा मुकदमें के मय निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....अदा करें।

शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....X....

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07 / 07 /2023. जारी किया गया।

(हस्ताक्षर) 7/7/23

( रमेश देव )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया